HISTORY

B.A.(Hon's) PART-II

Paper-III (Mediaeval Indian History)

Unit-III, (Administrative System of Sultanate period -3)

Dr. GUDDY KUMARI

(Guest Lecturer), History Deptt.

A.N.D. College, Samastipur

Lecture Series - 96

सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था

(Administrative System of Sultanate period)

भाग ----3

न्याय तथा दण्ड व्यवस्था

काल में सुल्तान राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। इस समय इस्लामी कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था ।

मुस्लिम कानून के चार महत्वपूर्ण स्रोत थे- कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास।

कुरान-- मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ एवं मुस्लिम कानून का मुख्य स्रोत ।

हदीस—पैगम्बर के कार्यों एवं कथनों का उल्लेख, कुरान द्वारा समस्या का समाधान न होने पर 'हदीस का सहारा लिया जाता था।

इजमा---'मुजतहिद' व मुस्लिम विधि शास्त्रियों को मुस्लिम कानून की व्याख्या का अधिकार प्राप्त था, इसके द्वारा व्याख्यायित कानून, जो अल्लाह की इच्छा माना जाता था, को 'इजमा' कहा गया।

कयास-- तर्क के आधार पर विश्लेषित कानून को कयास कहा गया।

सुल्तान सप्ताह में दो बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था । धार्मिक मुकदमों के निर्णय के समय सुल्तान मुख्य सद्र एवं मुफ्ती की सहायता लेता था अन्य मुकदमों के निर्णय के समय सुल्तान काज़ी की सहायता लिया करता था ।

मुख्य सद्र-उस-सुदूर एवं मुख्य काजी प्रायः एक ही व्यक्ति को बनाया जाता था। धार्मिक मुकदमों में वह मुख्य सद्र एवं गैर धार्मिक मुकदमों में मुख्य काजी की भूमिका निभाता था। प्रधान काजी राजधानी में रहता था। वह प्रान्तीय न्यायाधीशों के कार्यों

की जाँच करता एवं उनके निर्णय के विरुद्ध अपीलें सुनता था। इसके विभाग को दीवान-ए-कजा कहा जाता था ।

अमीर-ए-दाद नाम का अधिकारी बड़े-बड़े नगरों में रहता था, यह अपराधियों को पकड़कर काजी की सहायता से मुकदमों का निर्णय करता था। साथ ही यह काजी के निर्णयों को लागू करवाता था। नियमों को लागू करवाने में यह मुहतसिब की सहायता लेता था ।

'नाइब-ए-दादबक' नाम का अधिकारी अमीर-ए-दाद की सहायता करता था। कस्बों एवं गांवों की सहायता के माध्यम से स्थानीय पंच लोग झगड़ों का निपटारा करते थे। सल्तनत काल में दण्ड व्यवस्था कठोर थी। अपराध की गंभीरता को देखते हुए क्रमशः मृत्युदण्ड, अंग-भंग एवं सम्पत्ति को हड़पने का दण्ड दिया जाता था ।

सल्तनत काल में मुख्यतः 4 प्रकार के कानून का प्रचलन था (1) सामान्य कानून -- व्यापार आदि से सम्बन्धित ये कानून मुस्लिम एवं गैर मुस्लिम दोनों पर लागू होते थे। परन्तु सामान्यतः यह कानून केवल मुसलमानों पर लागू होता था । (2) देश का कानून -- मुस्लिम शासकों द्वारा शासित देश में प्रचलित स्थानीय नियम कानून ।

(3) फौजदारी कानून - यह कानून मुस्लिम एवं गैर मुस्लिम दोनों पर समान रूप से लागू होता था ।

(4) गैर मुस्लिमों का धार्मिक एवं व्यक्तिगत कानून -- हिन्दुओं के सामाजिक मामलों में दिल्ली सल्तनत का अति सूक्ष्म हस्तक्षेप होता था। उनके मुकदमों की सुनवाई पंचायतों में विद्वान पण्डित एवं ब्राह्मण किया करते थे, वही विवादों का निपटारा भी करते थे।

मुस्लिम दण्ड विधि को फिकह (इस्लामी धर्मशास्त्र) में बताये गये नियमों के अनुसार कठोरता से लागू किया जाता था, कुरान के नियमों के अनुसार मुस्लिम शासक का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है, मूर्ति पूजकों को नष्ट करना, जिहाद (धर्मयुद्ध) लड़ना एवं दारुल-हर्ब को (काफिरों के देश) दारुल इस्लाम (इस्लाम का देश) में बदलना ।

शेष अगले भाग में.....